



राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् उदयपुर

(शैक्षिक सर्वे, अनुसंधान, आकलन एवं मूल्यांकन तथा नीति परिप्रेक्ष्य प्रभाग)

Email-hod.dsm.siert@rajasthan.gov.in

Phone No- 0294.2415202

क्रमांक/राराशैअप्रप-उदय/प्र.2/ फा-1052/2022/ 518

दिनांक 11.01.2022

विज्ञप्ति

नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कोलरशिप स्कीम (NMMS) परीक्षा-2022

परिचय- नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कोलरशिप (NMMS) एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। इसकी शुरुआत मई 2008 में की गई थी। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा इसका संचालन एवं क्रियान्वयन किया जाता है। निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (RSCERT), उदयपुर इसके राज्य नोडल अधिकारी है। अतः राज्य स्तर पर संचालन और मोनिटरिंग राराशैअप्रप उदयपुर द्वारा की जाती है। सभी जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मु.) इसके जिला नोडल अधिकारी है।

उद्देश्य- मई 2008 में शुरू की गई एनएमएमएस छात्रवृत्ति का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अपनी उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा को पूरा करने के लिये प्रेरित करना है, ताकि कक्षा 8 के बाद स्कूलों की ड्रॉप आउट दर में सुधार हो सके। प्रत्येक वर्ष कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी की राज्य स्तर पर चयन परीक्षा होती है। इस परीक्षा में चयन बाद कक्षा 9 से 12 वीं तक के राजकीय विद्यालय में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थियों को NMMS छात्रवृत्ति की राशि मिलती है।

छात्रवृत्ति राशि - एनएमएमएस में चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9 से 12 वीं तक नियमित अध्ययनरत रहने पर नियमानुसार 12000 रु प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति मिलती है। एनएमएमएस छात्रवृत्ति के तहत छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एकमुश्त किया जाता है। राशि को सीधे ही विद्यार्थियों के खातों में PFMS द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। प्रत्येक राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों को छात्रवृत्ति की संख्या केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित की गई है।

पात्रता मापदंड -

- कक्षा 8 के राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी।
- अभिभावक/माता-पिता की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 1.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

कौन पात्र नहीं है.

- जवाहर नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल के छात्र।
- राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र जहाँ बोर्डिंग, लॉजिंग और शिक्षा जैसी सुविधाएँ प्रदान की जाती है।
- निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र।
- राजकीय छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी।

पात्रता व छात्रवृत्ति की निरन्तरता हेतु न्यूनतम उत्तीर्णांक

क्र. सं.	कक्षा	न्यूनतम प्राप्तांक %
1	7	55
2	8	55
3	9	55
4	10	60
5	11	55

सभी कक्षाओं में SC और ST श्रेणी के विद्यार्थियों को 5% की छूट है। कक्षा 7, 8, 9, 10, 11 में न्यूनतम उत्तीर्णांक से कम प्राप्तांक होने पर अपात्र होगा।

नोट :- यदि किसी कक्षा में राज्य सरकार के नियमानुसार बिना परीक्षा के प्रोन्नत किया गया है, उस कक्षा के लिए न्यूनतम प्राप्तांक में शिथिलता प्रदान की जाएगी।

u



NMMS आवेदन प्रक्रिया

NMMS की आवेदन प्रक्रिया दो चरणों में पूर्ण होती है—

1. **NMMS परीक्षा के लिए आवेदन—** परीक्षा के लिए संस्था प्रधान को ऑनलाइन आवेदन शालादर्पण के माध्यम से करना होगा। एक विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की फीस एक साथ यूपीआई ऐप/नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा करानी है, तथा शुल्क जमा होने के बाद आवेदन का फाइनल सबमिट होगा। आवेदन करने के बाद हार्डकॉपी निकाल कर आवश्यक दस्तावेज लगाएँ। यह परीक्षा केवल एक ही बार होती है तथा छात्रवृत्ति चार वर्षों तक मिलती है। यदि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो दिव्यांग का प्रमाण पत्र लगाए। एक विद्यालयों को आवेदन का अवसर एक बार ही मिलेगा अतः जिन विद्यार्थियों का आवेदन करना है उन्हें सलेक्ट कर लेंवे। आफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

छात्रवृत्ति के लिए आवेदन— परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9 में प्रवेश लेने के बाद NSP (नेशनल स्कोलरशिप पोर्टल) पर पंजिकरण कराना होगा तथा कक्षा 12 तक हर वर्ष नवीनीकरण कराना होगा।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

नेशनल मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा के लिये दिनांक **14-01-22** से दिनांक **24-01-22** रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

NMMS आवेदन पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज

- कक्षा 7 की अंकतालिका/प्रमाण पत्र (केवल राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत)।
- जाति प्रमाण पत्र
- माता-पिता का आय प्रमाण-पत्र (अनिवार्य)
- दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागू होता है)
- राजस्थान का मूल निवास, प्रमाण-पत्र
- आधार कार्ड

परीक्षा पैटर्न

इस छात्रवृत्ति हेतु पात्र विद्यार्थियों के चयन के लिए राज्य स्तर पर एक चयन परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इस चयन परीक्षा के प्रश्न पत्र में दो भाग होते हैं। मानसिक क्षमता परीक्षण (MAT) व शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT)। दोनों भागों में कुल 180 प्रश्नों (प्रत्येक में 90) को हल करने के लिए 180 मिनट का समय निर्धारित है। जिनके दिशा-निर्देश साक्षरता एवं स्कूल शिक्षा विभाग भारत सरकार की गाईडलाइन में दिए गए हैं। विशेष आवश्यकता वाले परीक्षार्थियों को टेस्ट पूरा करने के लिए 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है। इस एनएमएमएस परीक्षा का पैटर्न निम्नलिखित प्रकार से है –

क्र.स.	परीक्षण	विवरण
1.	मानसिक क्षमता परीक्षण (MAT)	यह परीक्षण 90 बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थियों की तर्क क्षमता और आलोचनात्मक सोच की जांच करता है। अधिकांश प्रश्न समानता, वर्गीकरण, संख्यात्मक श्रृंखला, पैटर्न धारणा, छिपे हुए आंकड़े आदि जैसे विषयों पर आधारित हो सकते हैं।
2.	शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT)	शैक्षिक योग्यता परीक्षा में कक्षा 7 व 8 के स्तर के विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और गणित विषयों के 90 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं।

परीक्षा परिणाम— चयन परीक्षा के बाद सभी आवेदकों का परिणाम घोषित किया जाएगा। NMMS योजना में राजस्थान राज्य का कोटा (छात्रवृत्ति संख्या) 5471 है। जिसका जिलावार और श्रेणीवार वर्गीकरण किया हुआ है। अतः छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए इसकी मेरिट में आना आवश्यक है। आवेदकों को चयन परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने

है। SC व ST श्रेणियों के आवेदकों को इस एनएमएस छात्रवृत्ति को लाभ पाने के लिए न्यूनतम कट ऑफ अंक 32 प्रतिशत हैं। दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को अपनी श्रेणी में 3 प्रतिशत आरक्षण देय है।

परीक्षा शुल्क

1. सामान्य वर्ग 50रु. और आरक्षित वर्ग (SC/ST/निःशक्ताजन)के लिए 30रु. उक्त शुल्क ऑनलाइन ऐप/नेट बैंकिंग द्वारा जमा करवाना होगा। नकद या अन्य माध्यम से शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. यदि किसी कारणवश परीक्षा शुल्क जमा नहीं होता है तो इस लिंक से शुल्क जमा करा सकते हैं।

<https://www.onlinesbi.com/sbicollect/icollecthome.htm?corpID=3022159>

परीक्षा में चयन के बाद करणीय कार्य

1. NMMS परीक्षा में चयन के पश्चात् स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली तथा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के नियमानुसार व दिशानिर्देशों के अनुसार छात्रवृत्ति जारी होती है। अतः नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल <https://scholarships.gov.in> पर उपलब्ध अद्यतन दिशानिर्देशों का पालन करें।
2. छात्रवृत्ति के लिए आवेदन— परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9 में प्रवेश लेने के बाद नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) पर पंजीकरण कराना होगा तथा कक्षा 12 तक हर वर्ष नवीनीकरण कराना होगा। पंजीकरण और नवीनीकरण विद्यार्थी/अभिभावक द्वारा किया जाएगा। तथा इस आवेदन का प्रिन्ट निकालकर संस्थाप्रधान को जमा कराना है।
3. वेरिफिकेशन – नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) पर विद्यार्थी की लोगिन आईडी से पंजीकरण या नवीनीकरण करने के बाद पहले सम्बन्धित संस्थाप्रधान तत् पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मु.) द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है।

नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर विद्यार्थी लोगिन से छात्रवृत्ति की स्थिति जान सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए <https://rajshaladarpan.nic.in/SD4/NMMS/scholarship.aspx> पर विजिट करें।


(प्रियंका जाधव)

निदेशक

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान
एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर